न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 74/18

1. कलवन्त सिंह पुत्र श्री जागर सिंह जाति रायसिख उम्र 47 वर्ष निवासी 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

1. गुरवचन सिंह पुत्र श्री जागर सिंह जाति रायसिख निवासी 4 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः—

1. श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अजय कुमार तनेजा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—:निर्णयः— दिनांकः— 26-11-19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 6 एलसी के मु.नं. 1 पं.नं. 115/320 कि.नं. 1 ता 18 व 25 में 3.100 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है। जिस पर मुझ प्रार्थी का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है व सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। प्रार्थी के पिता जागर सिंह के 1 मुरब्बा भूमि थी। मैं और अप्रार्थी अपने पिता के दो ही पुत्र है। मेरी माता व बहनों ने हम दोनो भाईयों के हिस्से में अपना हक त्याग कर दिया है। अब मुझे व मेरे भाई अप्रार्थी सं. 1 को 3.100—3.100 है0 भूमि हिस्सा में आई। उसी अनुसार हम दोनो भाई अपने—अपने हिस्सा पर बंटवारा व कब्जा पर काश्त व रिकार्ड अनुसार भूमि काश्त कर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 जगडालू किस्म का व्यक्ति है व शराब का सेवन करता है। मेरे साथ अच्छी व बुरी के हिसाब से तुलना करता है व तेरे पास अच्छी भूमि आ गई। मैं तुम्हारी कब्जा काश्त भूमि पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हारे हिस्से की भूमि पानी की बारी अपने नाम करवा लूंगा। प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 4 बीपीएम के मु.नं. 1 पं.नं. 115/320 कि.नं. 1 ता 18 व 25 में 3.100 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस तरह फरमाई जावे कि अप्रार्थी सं. 1 मुझ प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में स्वयं व अन्य किसी पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती व्यक्ति दखलअंदाजी न करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अजय कुमार तनेजा अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 11.07.18 को प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र 212 राज.काश्त. अधि. का जवाब दिनांक 16.04.19 को पेश किया गया। वकील अप्रार्थी श्री अजय तनेजा द्वारा प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 के संबंध में नोट प्रेस प्रस्तुत किया। मूल प्रार्थना—पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया। कब्जा भूमि को लेकर हम पक्षकारान में कोई विवाद नही है। हम अपने—अपने हक व हिस्सानुसार बंटवारा अनुसार ही काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी को कोई क्षति नही हो रही है। प्रार्थी कोई व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावे।

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर अवलोकन किया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी चक 6 एलसी सम्वत् 2069–72 खाता सं. 10/7 के मु.नं. 1 पं.नं. 115/320 कि.नं. 1 ता 18 व 25 में 3.100 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी कलवंत सिंह पुत्र जागर सिंह कौम रायसिख साकिन देह खातेदार रहन पीएसबी शाखा डाबला मुर्तहीन दर्ज है। मूल वाद में साक्ष्यों के उपरान्त ही तय किया जाना है। प्रथम दृष्ट्या सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के नाम से ही भूमि दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 04.06.18 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूल के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26-11-19 को में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.10 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: